न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 42 / 2025

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....*प्रार्थी*

बनाम

1. श्री मनोहर लाल (विक्रेता) पुत्र श्री रामस्वरूप टांक, मैसर्स विनायक भोजनालय, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर जिला अजमेर।
2. मैसर्स विनायक भोजनालय, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर जिला अजमेर।

.....*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II)एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

—: आदेश :—

दिनांक — 11.03.2026

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक / क—4 / 08 दिनाक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) दही का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, मौका फर्द, प्रपत्र 5ए, कैश मीमो, प्रपत्र 6 की जमा करवाने की प्रति, विक्रेता को दिया गया नोटिस, जाँच रिपोर्ट, विक्रेता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, अभियोजन स्वीकृति बाबत पत्र, अभियोजन स्वीकृत पत्र तथा अन्य दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न कर प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 01.05.2025 को 02:30 पीएम पर मैसर्स विनायक भोजनालय, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर जिला अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री मनोहर लाल मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा जो उसके पास मौके पर उपलब्ध था।खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय फ्रिज में स्टील की भगोनी में लगभग 2—3 किलोग्राम दही आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ मिला।उक्त दही में मिलावट का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 800 ग्राम दही रू. 160 / — रूपयें श्री मनोहर लाल को नगद देकर गवाह श्री केसरी नन्दन शर्मा के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री मनोहर लाल को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा दही को चार साफ, खुली प्लास्टिक की बोतल में 200–200 ग्राम भरकर प्रत्येक बोतल में 16–16 बूंद फार्मेलीन की डालकर , चार नमूने तैयार कर विक्रेता के सामने लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए–5015 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुॅचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2025/3866 दिनांक 23.05.2025 के संलग्न प्राप्त खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. पीएच लैब/अजमेर/एक्ट/2025/721 दिनांक 15.05.2025 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया दही अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। विक्रेता द्वारा द्वितीय सेम्पल की जाँच हेतु अपील प्रस्तुत नहीं की गयी। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 24.07.2025 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 24.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी को अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा ने उपस्थित होकर लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा बहस का निवेदन किया। उनकी बहस सुनी गयी। उन्होने निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा भोजनालय से दही का नमूना लिया गया जो कि जाँच में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया। उनके द्वारा निवदेन किया गया कि अभिहित अधिकारी द्वारा बिना दस्तावेजों के अवलोकन एवं सूक्ष्म परीक्षण के ही अभियोजन स्वीकृति जारी की गयी है। फार्म 5ए में किसी भी स्वतन्त्र गवाह के हस्ताक्षर नही है, नमूना खरीद बिल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम व पता भी अंकित नही है। प्रार्थी द्वारा परिवाद में जाँच रिपोर्ट रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया जाना अंकित किया गया है जबकि ऐसी किसी प्रकार की डाक अप्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई है। अप्रार्थी को प्रेषित की गयी जाँच रिपोर्ट में पता गलत अंकित किया गया है जिससे कि अप्रार्थी को उक्त डाक प्राप्त नही हुई है। अप्रार्थी को जाँच रिपोर्ट एवं सूचना प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रार्थी नियत समयावधि में जाँच रिपोर्ट के विरूद्ध अपनी असंतुष्टि प्रस्तुत नहीं कर सका जो कि अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के भी विपरीत है। विभाग द्वारा प्रेषित जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण पुनः जाँच हेतु केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नमूने को भिजवाये जाने के अधिकार का हनन हुआ है। उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर हमने परिवाद का निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने लिखित प्रत्युत्तर, पत्रावली एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये परिवाद का अवलोकन किया एवं बहस में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। अप्रार्थी द्वारा दिये गये लिखित प्रत्युत्तर एवं प्रार्थी द्वारा परिवाद के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर द्वारा दिनांक 23.05.2025 को अप्रार्थी को प्रेषित की गयी जाँच रिपोर्ट में अप्रार्थी का पता गलत अंकित किया गया है, जिसके कारण अप्रार्थी को जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी तथा जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रार्थी पुनः जाँच हेतु निर्धारित समयावधि में अभिहित अधिकारी के

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर सत्यमेव जयते

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

समक्ष आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सका। इस प्रकार अप्रार्थी के विधिक अधिकारो की पूर्ण पालना नहीं हो पायी है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों का हनन है।

अतः विचाराधीन परिवाद में प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी के सही पते पर जाँच रिपोर्ट प्रेषित नहीं किया जाना एक गम्भीर त्रुटि है। हम अप्रार्थी अभिभाषक के इस तर्क से सहमत है कि जाँच रिपोर्ट प्राप्त नहीं होने के कारण, उनके पक्षकार की ओर से निर्धारित समयावधि में पुनः जाँच हेतु आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

इस प्रकार प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद में अप्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होने तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की अवहेलना होने के कारण प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद इसी स्तर पर निरस्त किया जाता है।

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2026/1061-65 दिनांक : 16.03.2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री मनोहर लाल (विक्रेता) पुत्र श्री रामस्वरूप टांक, मैसर्स विनायक भोजनालय, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर जिला अजमेर।
5. मैसर्स विनायक भोजनालय, रेल्वे स्टेशन के सामने, अजमेर जिला अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी अजमेर